amending Notification No. 225/86-Central Excise, dated the 3rd April, exempting Monoethylene Glycol falling under sub-heading No. 2905.90 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) from the whole of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule, together with an Explanatory Memorandum thereon. [Placed in Library. See No. LT-4450/87]

- I. Accounts (1985-86) of the Banaras · Hindu University (Volumes I and II) and related papers.
- II. Report and Accounts (1985-86) of the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi and related papers.
- III. Statement giving reasons for not laying the Report (1985-86) of the Aligarh Muslim University within the stipulated period.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा ग्रीर संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : श्रीमन् मैं, निम्न-लिखित पत्नों की एक-एक प्रति (प्रांग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हं--

- (i) (क) 1985--86 के दर्व के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वार्षिकः लेखे (खण्ड I तथा II) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (ख) ऊपर (क) में उल्लिखित पर्वी को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को देशीने दाला विवरण । [पुस्तकालय में एखी गई।) ु(क) ग्रीर (ख) के लिये देखिये सं० एल॰ टी॰ 4428/87]।
  - (ii) (वा) 1985-86 के वर्ष के लिए केन्द्रीय उच्च तिब्बती ग्रध्ययन संस्थान, वाराणसी का नदा वार्षिक प्रतिवेदन
  - (ख) 1985-86 के वर्ष के लिए केन्द्रीय उच्च तिब्बती ग्रद्ययन संस्थान,

वाराणसी के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

- (ग) सस्थान के कार्यवारण की सन्कार द्वारा समीक्षा ।
- (घ) ऊपर (क) श्रीर (ख) में उल्लिखित पत्नों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के बारणों को दर्शान बाला विवरण। पुरतकालय में रखी गई। (क) से (घ) के लिये देखिए सं ० एल ० टी ०--- 4465/87]
- (iii) 1985-86 के दर्भ के हिए ऋलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वापिक प्रतिवेदन को निर्धारित अवधि भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाण वाला विवरण (ग्रंग्रेजी तथा हिन्दी में)। पुस्तवालय में रखी गई) । देखियं सं० एल ०टी ०-4466/87

## Notifications of the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines)

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF MINES IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (1) of section 28 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act. 1957, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Minstry of Steel and Mines (Department of Mines):-

- 1. S.O. No. 445(E), dated the 28th April, 1987, directing that the powers exercisable under clause (b) of section 5 (2) of the Act shall also be exercised by the Controller General, Chief Controller of Mines, Controller of Mines and the Regional Controller of Mines of Indian Bureau of Mines [Placed in Library. See No. LT-4467/87]
- S.O. No. 446(E), dated the 28th April, 1987, authorising all the State Governments and Union Territory Administrations to exercise powers vested in Central Gev-